संसद के समक्ष अभिभाषण – 8 फरवरी 1960

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

एक बार फिर संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र-निर्माण के काम में संलग्न रहे। देहातों और शहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और अपनी स्थिति और रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं।

हमारी परम्परागत और सुपरिचित सीमाओं को लांघ कर भारतीय गणराज्य की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दुःख हुआ है और उनमें ठीक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों पर बहुत भार पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दुःख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए जिन सिद्धान्तों को हमने परस्पर स्वीकार किया था, चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनायें घटी हैं। हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में सत्वर और सुविचारित कई कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार को खासतौर से इस बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य सीमा पर, जहां हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एकतरफा प्रयोग किया। यह विश्वासघात है, किन्तु उन सिद्धांतों में जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये आधारभूत मानते हैं, अभी भी हमारी आस्था है।

संसद के सदस्यगण, समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच पत्र व्यवहार के प्रकाशन द्वारा आपको, हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है, उससे अवगत रखा गया है। मेरी सरकार ने यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए हम शांतिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एकतरफा कार्य या निर्णय किया है, वह हमें मान्य नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार, उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर, शांतिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है।

हम आशा करते हैं कि हमारी कार्यवाही और संसार भर का प्रतिकूल जनमत देर-सवेर चीन को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह संधियों और परम्परा द्वारा स्थापित हमारी सामान्य सीमाओं के संबंध में हमसे समझौता करे। केवल इसी प्रकार अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध, जिनके लिए हमारी सरकार और भारत के लोग आकांक्षी हैं, यथार्थ हो सकते हैं और दोनों देशों के हित में स्थायी बन सकते हैं। यह आशा की जा सकती है कि जो कार्यवाही हमने की है और जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है, वह चीन को हमारी नीति और दृढ़ता का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगी।

संसद के सदस्यों, हमारी सीमा पर जो स्थिति पैदा हो गई है और उससे जो समस्याएं और परिणाम निकलते हैं, उनके संबंध में मैंने कुछ विस्तार से आप से कहा है। मेरा यह कहना अनावश्यक है कि मैंने जो कुछ भी बताया वह हमारे देश और लोगों की भावनाओं और अपनी सीमाओं की रक्षा के दृढ़ निश्चय को दोहराना मात्र है। किन्तु रक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब उसके पीछे राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता हो। हमारी आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, उत्पादन की योजनाओं पर अधिक तेजी और परिश्रम से अमल, जिससे कि देश को आधुनिक रक्षा के साधन उपलब्ध हो सकें, और इसके साथ ही राष्ट्र में बल और अनुशासन की भावना का संचार हो सके, ये सब बातें ही देश की सुरक्षा का आधार हैं।

चीनी-भारतीय सीमाओं पर घटी घटनायें निस्सन्देह दु:खपूर्ण हैं, किन्तु हमें अपने देश की उन्नति और आर्थिक व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के प्रयत्नों को ढीला नहीं करना चाहिये और न हम ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में इन घटनाओं के कारण मेरी

सरकार आर्थिक विकास को अधिक गतिमय और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठा रही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का काम कुछ और आगे बढ़ा है। इस योजना का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसके लक्ष्य अधिक ऊंचे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय, 1950-51 के मुकाबले में राष्ट्रीय आय को लगभग दोगुना करना और कृषि उत्पादन तथा हमारी खुराक की जरूरतों, भारी मशीनी औजार निर्माण और लोहा, ईंधन तथा बिजली जैसे मौलिक उद्योगों की ओर ध्यान देना है। छोटी और ग्रामीण दस्तकारियों का और हमारी देहाती आर्थिक व्यवस्था का स्वस्थ और अविलम्ब विकास और औद्योगिक केन्द्रों तथा देहाती लोगों के बीच उचित संबंध स्थापित करना, ये बातें उस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्रीय विकास के नाजुक दौर की द्योतक है। इसका ध्येय हमारी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इस योग्य करना है कि इससे हमारे उत्पादन के साधन बढ़ सकें और उनका आपसी विस्तार हो सके। इसके लिए लोगों से निरन्तर प्रयास करते रहने और धैर्य रखने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हमारी तीसरी योजना में इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं और आगामी चौथी योजना की जरूरतों को सामने रखा गया है। विदेशी सहायता और ऋण के लिए, जो हमारे विकास की मौजूदा हालत में जरूरी हैं, हम आभारी हैं, किन्तु अपने ही हित में और अपने अच्छे और उदार मित्रों के हित में और संसार के अर्धविकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की दृष्टि से, हमें निर्भरता से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए।

देश की विदेशी मुद्रा स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी और वह प्रायः यथापूर्व है। इसलिए मेरी सरकार व्यापार के लिए ऐसी नीति अपनाना चाहती है जिससे विदेशी मुद्रा की आमदनी अधिक हो और इसके लिए वह आयात पर सख्त नियंत्रण करके निर्यात को बढ़ाने में प्रयत्नशील है। मेरी सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह विदेशी वित्त साधनों को सुरक्षित रखकर हमारे अदृश्य निर्यात की मात्रा को बढ़ावे, जिसके लिए अभी भी बहुत बड़ा, अप्रयुक्त और बढ़ता हुआ क्षेत्र हमारे पास है।

हमारा औद्योगिक उत्पादन उन्नति की ओर अग्रसर है। वर्ष के प्रथम दस महीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन 138 से 149.3 हुआ है और उत्पादन में दस मात्रा से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सर्वतोन्मुखी है जिसमें सभी उद्योगों का योगदान है, किन्तु धातु-संबंधी उद्योगों की उन्नति से उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में उत्पादन 1959 से आरम्भ हो गया है। कच्चे लोहे के उत्पादन में पचास प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में भी काफी, पर इससे कुछ कम, वृद्धि हुई है।

लोहे और इस्पात के उत्पादन से भारी मशीनों को बनाने की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले से ही अनेक मशीन बनाने की व अन्य योजनाओं को स्वीकृत किया है। इनमें रांची की भारी मशीन योजना और भिलाई में इस्पात उत्पादन को दोगुना करना, भोपाल की भारी बिजली यंत्र निर्माण योजना का विस्तार और बिजली और मशीनी औजार बनाने की कई योजनाएं शामिल हैं।

रासायनिक उद्योग ने भी सराहनीय प्रगति की है। रंगाई के साधनों, दवाओं विस्फोटकों और प्लास्टिक के लिए मौलिक कच्चे साधनों की उपलब्धि के लिए एक आरंभिक मशीन स्थापित की गई है।

अपने रेल विभाग के प्रयत्नों से हम न केवल इंजनों, रेल के डिब्बों, वैगनों सिग्नल और बत्ती के साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि इनका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होता है कि निर्यात के लिये भी कुछ सामान बचा रहता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत खान उद्योग भी काफी मात्रा में बढ़े हैं। नयी खोज और अप्रयुक्त क्षेत्र में धातुओं की गहरी छानबीन के लिए, जो हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, भारत के भूगर्भ विज्ञान पर्यवेक्षण का विस्तार हुआ है।

एक स्थायी तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की भी स्थापना हुई है। देश के विभिन्न स्थानों में तेल की प्राप्ति की ढूंढ़–खोज जारी है। तेल के उत्पादन के लिए नाहरकटिया में साठ तेल–कूप खोदे गये हैं। यह तेल आसाम और बिहार की सरकारी रिफाइनरीज के लिए आवश्यक है। आसाम की रिफाइनरी के निर्माण की प्रगति जारी है।

बिहार में बरौनी की रिफाइनरी को बनाने हेतु मशीनों और अन्य साधनों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार ने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के साथ समझौता किया है।

मेरी सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिए वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और टेकनोलोजिस्ट्स की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है। वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि ऐसे पुराने और नये वैज्ञानिकों के पद ऊंचे करने के लिए नौकरी की अधिक अच्छी सुविधाएं और सुअवसर देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति के साथ इन क्षेत्रों में नौकरी के सुअवसर नित्य बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तरीकों पर आधारित हमारे योजनाबद्ध विकास के लिए यह परमावश्यक है।

हमारे एटामिक विभाग ने बड़ी सराहनीय प्रगति की है। आइसोटोप का अधिक उत्पादन, ईंधन तत्वों का संग्रह, ट्रोम्बे में यूरेनियम मैटल प्लांट उपयोग में लाये हुए ईंधन से प्लूटोनियम का निकालना और यूरेनियम की खान का संचालन—ये इस विभाग के

सफल कार्य रहे हैं। प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना का प्रारंभिक कार्य हाथ में है। यूरेनियम, जोकि बिहार में खोदा जाएगा इस प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन को पर्याप्त कच्चा माल दे सकेगा।

एक लाख ग्रोस टन के जहाज भारतीय व्यापारी बेड़े में जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड और एक वैधानिक नानलैप्सिग शिपिंग विकास फंड की स्थापना की गयी है। भारतीय जहाजरानी को, जिसे स्वाधीनता से पहले बहुत अवरोध सहने पड़े, अब विकास और आधुनिकीकरण के लिए बराबर हर सम्भव सहायता मिलती रहेगी। मेरी सरकार देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी बेड़े के महत्व को समझती है। विदेशी मुद्रा के उपार्जन और उसे सुरक्षित रखने के लिए और हमारे लम्बे तट की रक्षा के कार्य में सहायता के रूप में और आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए इस बेड़े का बहुत महत्व है।

1958 में बनाई गई अनुशासन नियमावली से देश के औद्योगिक संबंधों में सुधार हुआ है और उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 1959 में काम के मजदूर दिनों का नुकसान कहीं कम हुआ है।

राजकीय कर्मचारी बीमा योजना का और अधिक विस्तार किया गया है और अब इसके अंतर्गत साढ़े चौदह लाख कारखानों के मजदूर आते हैं, जबकि योजना के अंतर्गत दवा-दारू की सुविधाओं को मजदूरों के परिवारों तक बढ़ाकर करीब 12 लाख व्यक्तियों पर और लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का शिक्षण, लड़कियों की शिक्षा का विस्तार और अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग के संबंध में अच्छी प्रगति हुई है, और यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता, विस्तार और दृढ़ता के लिए अनाजों के उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। 1957-58 में अनाज का उत्पादन 7 करोड़ 35 लाख टन हुआ और नकदी फसलों की पैदावार में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर कृषि उत्पादन का मूलक बढ़कर 131 हो गया, जो पिछले किसी भी वर्ष की अपेक्षा 14.3 प्रतिशत अधिक है। किन्तु देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति से निश्चित तो क्या हम सन्तुष्ट भी नहीं हैं। हर वर्ष हमें खाने के लिए और आरक्षित भंडारों के लिये भारी मात्रा में अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के हमारे क्षीण साधनों पर बहुत दबाव पड़ता है और जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्रतिकूल है। प्रति एकड़ पीछे हमारा उत्पादन एशिया, यूरोप और अमरीका के बहुत से देशों के उत्पादन की अपेक्षा कम है। मेरी सरकार वैज्ञानिक खाद्य के उत्पादन और अच्छे बीजों की सप्लाई की तरफ अधिक ध्यान दे रही है। किन्तु व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की अच्छी जुताई हो, कीड़ों से

फसलों की बरबादी को रोका जाये, पशुपालन में सुधार हो, खेती और हाट व्यवस्था में सहकारिता को अधिकाधिक स्थान दिया जाये और आत्मभरित होने के लिए लोग दृढ़-संकल्प हों।

देश के आर्थिक विकास में और राष्ट्र के प्रशासन-संबंधी कार्यों में लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें, इसके लिए मेरी सरकार ने हमारे महान और बढ़ते हुए प्रजातंत्र के मौलिक स्तर पर जन-साधारण की संस्थाओं के पक्ष में विकेन्द्रीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। "पंचायती राज" की यह योजना राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहले ही लागू हो चुकी है और दूसरे राज्यों में शुरू होने जा रही है। "पंचायती राज" प्रणाली को कुशल बनाने के लिए सभी श्रेणियों के गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। इस दिशा में उत्पादन और उसके साधन दोनों के विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं और उन पर उत्तरोत्तर अमल किया जायेगा।

आगामी वर्ष में मेरी सरकार ने नेशनल केडिट कोर का विस्तार करने और लड़कियों के लिए नर्सिंग और सहायक टुकड़ियां संगठित करने की दिशा में कदम उठाये हैं। टैरिटोरियल आर्मी और लोक सहायक सेना की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी और उनकी ट्रेनिंग तथा भावी जिम्मेदारियों में कुछ संशोधन किया जा रहा है।

सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न दलों की सेना संबंधी परिस्थितियों में कई एक सुधार किये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने और अनुशासित जनशक्ति के इस साधन का उपयोग करने पर सरकार बराबर विचार कर रही है। टैक्नीकल और पेशेवर ट्रेनिंग तथा पथप्रदर्शन और सहकारी समितियों द्वारा आत्म-सहायता की योजनाओं को चालू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनः संस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों में उचित आशा, उत्साह और स्थिरता की भावना का संचार करने का साधन है।

संसद के सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केरल राज्य के संबंध में 31 जुलाई, 1959 को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिए जितनी भी जल्दी सम्भव है, चुनाव किये जायें। तदनुसार साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में 1 फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। शीघ्र ही उद्घोषणा को वापस ले राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

संसद के पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित रखने संबंधी अभिरक्षण को

10 साल तक और बढ़ाने का निश्चय किया गया था, और इस निर्णय से संबंधित संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम के लिए मैं अपनी स्वीकृति दे चुका हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 339 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में जनजातियों के कल्याण के संबंध में जांच के लिए सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

1959 में संसद ने 63 विधेयक पारित किये। 15 विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

दि ऐटामिक एनर्जी बिल।

दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल।

दि एग्रीकलचरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कॉरपोरेशन बिल।

दि फारवर्ड कांट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट बिल।

दि इंडिया पेटेंट्स एंड डिजाइन्स बिल।

दि एम्पलाइज प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल।

दि डॉक वर्कर्स (रेग्यूलेशन ऑफ एम्पलायमेंट) बिल।

दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल।

दि सैंट्रल मेटर्निटी बेनिफिट बिल।

दि इंडियन सेल ऑफ गुड्स (अमेंडमेंट)।

दि रिलिज्यस ट्रस्ट्स बिल।

दि टू-मेम्बर कांस्टिट्यूएंसीज (अबोलीशन) बिल, और

दि पेमैंट ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल।

मौजूदा बम्बई* राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के संस्थापन के लिए मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। जगन्नाथदास आयोग जांच के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि में वृद्धि के कारण अनुमान है, करीब 31 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय बैठेगा।

1960-61 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

संसार में तनाव की भावना में ढिलाई और निःशस्त्रीकरण और शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर के सम्मेलनों की संभावनाओं पर मेरी सरकार सन्तोष प्रकट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रशंसा और सद्‌भावना के अधिकारी हैं। स्वेच्छा से अपने-अपने देश में न्यूक्लीयर विस्फोटों के स्थगन को जारी रखने और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि जन-विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होना चाहिए।

बड़े राष्ट्रों के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की सफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शांति के लिए और शस्त्रों के संचय की दौड़ को रोकने की सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और द्वेषों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई घटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देंगे बल्कि आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियों और साधनों को शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

हमारी सरकार और लोग संसार में शांति और सहयोग बनाये रखने के लिए तत्पर हैं। वे शांतिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दृष्टिकोण हमारा विश्वास और व्यवहार और हमारे लोगों की उत्कृष्ट इच्छाएं तथा धारणाएं हैं, स्थिर रहने के लिए दृढ़-संकल्प हैं। इस नीति का संसद ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

मुझे कम्बोडिया, वियतनाम गणराज्य, वियतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य, लाओस और श्रीलंका की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा सुख और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

मुझे अपने देश की राजधानी में अमेरिका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति का स्वागत करने का हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शक्ति और महानताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विश्व शांति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं। सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री ख्रुश्चेव के आगमन की, जो संसार में एक और शांति दूत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण और शांति की खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्‌भावना और नैतिक समर्थन होगा।

मेरी सरकार को अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, घाना, नेपाल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, महामहिम मुरक्को सम्राट और फिनलैंड के प्रधान मंत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे हैं।

हमारे उप-राष्ट्रपति ने फिलिपीन्स, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड की यात्रा की और इन सभी जगह की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

हमारे प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान, ईरान और नेपाल की यात्रा की और वहां उनका सद्‌भावना से ओतप्रोत स्वागत हुआ।

भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के यहां यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और निकटता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उसके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ हमारे संबंधों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेशी नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति अधिक सद्‌भावना पैदा हुई।

मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा संबंधी झगड़ों पर समझौता हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फलस्वरूप हमारे पड़ोसी के साथ, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की हमारी इच्छा रही है, सीमा निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मामलों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरों के पानी संबंधी पुराना झगड़ा शीघ्र ही तय हो जायेगा। इन घटनाओं की, जिनसे हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आयेंगे, मैं स्वागत करता हूं।

गत 25 सितम्बर, 1959 को स्वर्गीय एसडब्ल्यूआरडी भंडारनायके, श्रीलंका के प्रधान मंत्री, की हत्या के समाचार से भारत के लोगों और सरकार को बहुत दु:ख हुआ और चोट पहुंची। वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आये थे। श्रीमती भंडारनायके, उनके बच्चों और श्रीलंका के लोगों और सरकार के प्रति हमने हार्दिक संवेदना प्रकट की।

संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आज़ादी की समस्या, विशेषकर अल्जीरिया के लोगों के निरन्तर स्वातंत्र्य युद्ध के प्रति हमारे देश के लोगों की सहानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की।

केमरून की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते है कि आगामी वर्षों में अफ्रीका के कई और उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे।

दक्षिण अफ्रीकी संघ की सरकार की जाति के आधार पर पृथकता की नीति के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को जो उस देश के नागरिक हैं, अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं। इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं। यह नीति संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के पिछले सत्र में इस नीति की फिर से घोर निन्दा की गई।

मेरी सरकार ने दक्षिण अमेरिका में क्यूबा, वेनेजुएला और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका में गिनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निश्चय किया है।

संसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनाएं, सफलताएं और चिन्ताएं रखी हैं। मैंने आपको उन सब महान कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं। ये सब आपके गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती हैं। हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शांति में हमारे योगदान के लिये, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी सूझबूझ तथा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार संसद संविधान के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी।

हमने इस वर्ष अपने नन्हे गणराज्य की 10वीं वर्षगांठ मनायी। हमारा संविधान, जो हमने अपने लिये निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता से ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उसमें शक्ति का संचार हुआ। मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं से हमारे प्रजातंत्र को बल मिला और उसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है।

हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातंत्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार विकसित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें प्रेरणा मिली। अपने नन्हे गणराज्य के इस ग्यारहवें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ किन्तु अत्यधिक निश्िंचतता के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने जो कार्य हैं उन्हें सम्पन्न करने के लिए अपने लोगों और देश के प्रशासन में निरंतर सतर्कता, अधिकाधिक दृढ़ता, अनुशासन और भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिए हमारा प्रजातंत्र यथार्थ हो सकता है।

हमारे विस्तृत साधन और हमारे लोगों की योग्यताएं, निर्माण और उन्नति के कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने हैं। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक और विचारणीय है

कि प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना कार्यप्रणाली को सरल और सुबोध बनाया जाये और उसे इस प्रकार चलाया जाये कि उसमें और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाये और जनशक्ति तथा समय का अपव्यय न हो।

मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनके पूर्ण होने में जो समय लगता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों के लोग हमारी आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मोपयोगिता और भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतंत्रता से मिली हैं।

मेरी सरकार मातृभूति की स्वाधीनता और हमारे लोगों की गरिमा को व एकता की भावना को प्रोत्साहित करने, सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने और ऐसे समाजवादी समाज का गठन करने के लिए, जिसमें लोगों की उन्नति, सहमति और शांति प्राप्त की जाये, संगठित करने के लिए कृतसंकल्प है।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपके नये सत्र का काम आपको सौंपता हूं, सफलता की कामना करता हूं। मेरी यह सत्याकांक्षा है कि बुद्धिमानी, सहिष्णुता और भावना आपके प्रयत्नों का मार्गदर्शन करें। आपके प्रयत्न, देश के और देशवासियों के, विश्व के, जिसकी सेवा करना हमारे लिये गौरव का विषय है, हित में सफल हों, यही मेरी प्रार्थना है।